न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–822/2020 (जीसीएमएस नं. 2020/00546)

1. बोदूराम पुत्र बींजा, जाति गुर्जर निवासी भैरूपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर।

––अपीलान्ट

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील विराटनगर, जिला जयपुर।

––मुख्य रेस्पोडेन्ट

2. कानाराम पुत्र नानगराम, जाति गुर्जर निवासी नवरंगपुरा, तहसील विराटनगर जिला जयपुर।
3. गोठी देवी पुत्री सुरजाराम जाति गुर्जर निवासी नवरंगपुरा, तहसील विराटनगर जिला जयपुर।
4. कल्याण पुत्र बोदू निवासी ग्राम भैरूपुरा, तहसील विराटनगर जिला जयपुर।
5. धन्ना पुत्र भैरू निवासी सेवरिया तेवडी तहसील विराटनगर जिला जयपुर।
6. हंसराज पुत्र मूलचन्द निवासी ग्राम भैरूपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर।
7. ओमकार पुत्र गोपाल गुर्जर निवासी ग्राम भैरूपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर।
8. अमराराम पुत्र नारायण, जाति गुर्जर निवासी नवरंगपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर।

(रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 8 का नाम हजफ आदेश दिनांक 09.02.2022)

––तरतीबी रेस्पाडेन्ट्स

अपील सख्याः–829/2020 (जीसीएमएस नं. 2020/00616)

1. कानाराम पुत्र नानगराम, जाति गर्जर निवासी नौरंगपुरा, तहसील विराटनगर जिला जयपुर।
2. बोदूराम पुत्र सूरजाराम निवासी नौरंगपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील विराटनगर, जिला जयपुर।

––मुख्य रेस्पोडेन्ट

2. कल्याण पुत्र बोदू निवासी ग्राम भैरूपुरा, तहसील विराटनगर जिला जयपुर।
3. धन्ना पुत्र भैरू निवासी सेवरिया तेवडी तहसील विराटनगर जिला जयपुर।
4. हंसराज पुत्र मूलचन्द निवासी ग्राम भैरूपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

5. ओमकार पुत्र गोपाल गुर्जर निवासी ग्राम भैरूपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर।
6. अमराराम पुत्र नारायण, जाति गुर्जर निवासी नौरंगपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर।

(रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 6 का नाम हजफ आदेश दिनांक 09.02.2022)

——तरतीबी रेस्पाडेन्ट्स

उपस्थितिः—

1. **श्री बंशीधर जाट एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**
2. **श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ओर से**

निर्णय

दिनांकः 09.03.2022

अपीलार्थीगण द्वारा यह दोनों अपीले अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.06.2020 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार विराटनगर द्वारा रास्ते सम्बधित समस्याओं का निवारण बाबत एक प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसे दिनांक 05.06.2020 को दर्ज किया गया तथा उसी दिनांक को हितबद्ध काश्तकारों को नोटिस जारी किये गये। सभी अप्रार्थीगणों को दिनांक 18.06.2020 को न्यायालय में उपस्थित होने के आदेश दिये गये। अपीलान्ट के नोटिस गलत पते के जारी किये गये तथा नोटिस की पुस्त पर अपीलान्ट कानाराम पुत्र नानगराम, बोदू पुत्र सूरजाराम, बोदूराम पुत्र बींजा मौजूद नही मिला, एक प्रति खुले मकान पर चस्पा की गई जो दिनांक 18.06.2020 को अप्रार्याप्त तामिल को पर्याप्त तामिल मानते हुये अपीलान्ट की एकतरफा कार्यवाही की जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुये अपीलान्ट्स की भूमि खसरा नम्बर 532 में 0.04 हैक्टयर व खसरा नम्बर 587 में 0.02 हैक्टयर खसरा नम्बर 588 रकबा 0.03 हैक्टयर में रास्ता कायम कर दिया जो निर्णय विधि विधान एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज के विपरित होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर नही दिया गया तथा अप्रर्याप्त तामिल नोटिस को ही पर्याप्त तामिल मानने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अहम काकनूनी भूल की गई है। उन्होने आगे कथन किया है कि फर्द मौका पर हंसराज पुत्र मूलचद के हस्ताक्षर है परन्तु यह व्यक्ति भी नियत दिनांक को न्यायालय में उपस्थित नही होता है जिससे यह स्पष्ट होता है कि तामिल कुनिन्दा के द्वारा कभी भी वास्तविक तामिल नही करवाई है तथा अन्य पक्षकारों को लाभ पहुँचाने की नियत से

संभागीय आयुक्त
जयपुर

तहसील कार्यालय में ही सम्मन नोटिस की कार्यवाही सम्पन्न की गई है जबकि राज्य सरकार द्वारा परिपत्र दिनांक 10.08.2016 में यह आदेशात्मक निर्देश दिये गये है कि पीड़ित खातेदार की सुनवाई किया जाना आवश्यक है तथा नियत दिनांक से पूर्व पीड़ित खातेदार को मय फर्द मौका पटवारी हल्का की रिपोर्ट के साथ नोटिस की प्रति भेजी जायेगी किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस नियम की पालना नही करवाई गई। इस कारण भी अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जिसकी जानकारी अपीलान्ट को पूर्व में नही हो सकी। दिनांक 27.07.2020 को नकल प्राप्त करने पर हुई इस करण जानकारी से अपील अन्दर मियाद न्यायालय श्रीमान् के समक्ष पेश की गई है तथा अपील प्रस्तुतिकरण में हुआ विलम्ब माफ करने हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अलग से अपील के साथ पेश किया गया है जो स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावें एवं अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, विराटनगर जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.06.2020 को निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि रास्ते सम्बन्धी समस्याओं का निराकरण बाबत राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 के अनुसरण में चालू रास्तों का राजस्व रिकार्ड में अमल–दरामद हेतु तहसीलदार विराटनगर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को प्रस्ताव भिजवाये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया है उसके उपरान्त अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही होने पर अपीलान्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई एवं अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलार्थीगण के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किये जाते है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर होता है कि अपीलान्ट्स अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बतौर रेस्पोडेट पक्षकार संयोजित है जिन्हे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तलबी नोटिस भी जारी किये गये है किन्तु उक्त नोटिस खुल्ले मकान पर चस्पानगी की रिपोर्ट के साथ प्राप्त होने पर उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते

हुऐ अपीलार्थीगण की खातेदारी भूमि के सम्बन्ध में अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.06.2020 पारित किया गया है जो आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने से उसे उचित नही ठहराया जा सकता।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट्स की दोनों अपीलें स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.06.2020 को अपीलार्थीगण की आराजी की हद तक निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर जिला जयपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 09.03.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर